

वित्तीय समावेशन : अब तक तय की गई यात्रा और आगे की मंजिल*

दीपाली पंत जोशी

1. श्री तमाल बंदोपाध्याय, उप प्रबंध निदेशक, श्री सुकुमार, संपादक-मिंट, प्रतिष्ठित अतिथिगण, देवियों और सज्जनो। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि इस सुहानी शाम में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं मिंट के संपादक को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वित्तीय समावेशन के बारे में रिजर्व बैंक के नजरिये को रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं मिंट को ऐसे ही मुद्दों पर, जो हम सभी की चिंता का विषय रहे हैं, पिछले एक दशक से इस प्रकार का आयोजन करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ।

2. डॉ. रघुराम राजन ने यह बात पूरी शिद्दत से कही है कि बड़े पैमाने पर विविध क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है जो गरीबी को तेजी से कम कर सके। अगले कुछ समय में रिजर्व बैंक ने कुछ विकासात्मक पहल की योजना बनाई है जो पांच स्तंभों पर आधारित हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ वित्तीय समावेशन का है अर्थात् “लघु और मध्यम उद्यमों, असंगठित क्षेत्र, गरीब, दूर-दराज तथा अल्पसेवा वाले क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के माध्यम से, नये कारोबारी अंदाज, तथा नए संगठनात्मक ढांचों को वित्त की उपलब्धता मुहैया कराना, यही हमें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत चाहिए”।

3. वित्तीय प्रणाली से गरीब लोगों की अपेक्षा यह है कि वित्त तक उनकी आसानी से पहुंच हो, जमाराशि की सुरक्षा और जमानत हो, लेनदेन की लागत कम हो, परिचालन समय सुविधाजनक हो, कम से कम कागजी काम हो, लेनदेन आसानी से करने की योग्यता, बार-बार राशि जमा करने पर उसे दर्ज किया जाना, ऋण और अन्य उत्पादों की आसानी से उपलब्धता एवं पहुंच, साथ ही उनकी आय के स्रोतों तथा उपभोग स्वरूप के अनुरूप उपयुक्त धनप्रेषण सुविधा हो। जटिलता- रहित, छोटे, और उनके योग्य उत्पाद के प्रावधान, कम आय वाले

* डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 नवंबर, 2013 को मिंट सभा में वित्तीय समावेशन पर दिया गया व्याख्यान

परिवारों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत ला सकते हैं। अनौपचारिक अथवा जीविका वाली अर्थव्यवस्था में कम आय वाले गृहस्थ प्रायः मित्रों से, परिवार या सूदखोर साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं। उन्हें बहुत कम जानकारी होती है या व्यावहारिक रूप से वित्तीय सेवाओं तक उनकी कोई पहुंच नहीं होती है जो उन्हें आकस्मिक परिस्थितियों जैसे-बीमारी, संपत्ति के नुकसान या रोजी-रोटी कमाने वाले असली व्यक्ति की मृत्यु के समय उनकी रक्षा कर सकती हैं। कृषि कार्यो से मौसमी आधार पर उन्हें होने वाली कमाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मौसमी एवं अनियमित कार्य की उपलब्धता और आय के अवसर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय प्रणाली को उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाने की आवश्यकता है और उनकी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना होगा। मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाएं जैसे-बैंकों को इस प्रकार के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, न केवल सामाजिक दायित्व के रूप में बल्कि पूरी तरह कारोबारी नजरिये से। वित्तीय समावेशन का जोर विनियामक / सरकार द्वारा समष्टिगत नीति के स्तर से आया है और बैंकों को इसे जमीनी स्तर पर वास्तविक परिणाम में बदलना है जिससे वित्तीय गहनता में तेजी आए।

4. इतनी बात के बाद अब मैं आपको वित्तीय समावेशन की अब तक की गई यात्रा और आगे की मंजिल की ओर ले चलती हूँ। “वित्तीय समावेशन” संकल्पना का प्रतिपादन रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. वाय.वी. रेड्डी द्वारा औपचारिक रूप से 2005-06 के नीतिगत वक्तव्य में किया गया था। गवर्नर को जहां बैंकिंग प्रथाओं के बारे में इस बात की चिंता थी कि वह एक बड़ी आबादी को आकर्षित करने के बजाए उसे अलग-थलग कर रही है, उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपनी वर्तमान प्रथाओं को वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार करें। इस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता बैंकिंग प्रणाली को न केवल ऋण देने से बल्कि उससे लोगों को ‘जोड़ने’ की है। वित्तीय वंचन मुख्य रूप से दो प्रकार से हो रहा है, पहला वंचन भुगतान प्रणाली से है अर्थात् लोगों की बैंक खाते तक पहुंच नहीं है और दूसरे प्रकार का वंचन औपचारिक ऋण बाजार तक पहुंच न होने से है जिसकी वजह से वे अनौपचारिक और शोषण करने वाले बाजार की ओर रुख करते हैं। रंगराजन समिति का हवाला लें, जिसने वित्तीय समावेशन के मुद्दे की पहली बार गहनता से अध्ययन किया था, हमने वित्तीय समावेशन को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके

माध्यम से लोगों की पहुंच वित्तीय सेवाओं तक हो तथा समाज के मासूम कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती लागत पर मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं से समय पर और पर्याप्त ऋण उनकी आवश्यकता पर उपलब्ध हो। जैसाकि रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने व्याख्या की है कि मात्र मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं के पास ही ये समस्त सेवाएं देनी की क्षमता है और समस्त सेवाएं जैसे बचत (एस), ऋण (सी), धनप्रेषण (आर), बीमा (आई), पेंशन (पी), भुगतान लेनदेन (टी) उपलब्ध कराकर वे वित्तीय समावेशन की एससीआर आईपीटी की अपेक्षा को पूरा कर सकते हैं। मुख्यधारा की संस्थाएं अर्थात् बैंकों को मध्यस्थता तथा संसाधनों को बेशी से घाटे वाली इकाइयों में अंतरित करने का प्रमुख कार्य अवश्य पूरा करना चाहिए, किंतु घाटे और बेशी वाली दोनों इकाइयां यदि कम-आय की होने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने तेजी से नीति में अनेक स्तर पर संशोधन लागू किए जो नये उत्पादों का प्रावधान, विनियामक दिशानिर्देशों में रियायत तथा अन्य समर्थनकारी उपाय के रूप में थे ताकि वहनीय एवं मापनीय वित्तीय समावेशन को हासिल कर सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक जो बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गये हैं, उन्हें सभी बुनियादी वित्तीय उत्पाद उपलब्ध हों जो उनकी आय बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि के लिए जरूरी हैं, इस प्रकार से उन्हें गरीबी से बाहर निकालकर स्वयं कार्य करने में सहायता प्रदान करना है।

अब तक की हमारी यात्रा के मील के पत्थर

I. सादा खाता खोलना : नवंबर, 2005 में बुनियादी बैंकिंग की एक नई संकल्पना 'सादा-खाता' प्रारंभ की गई जिसमें 'शून्य' या न्यूनतम राशि के साथ खाता खोला जा सकता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस प्रकार का खाता रख सकता है। वर्ष 2012 में इसका नाम बदलकर बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) कर दिया गया जिसमें लोगों को न्यूनतम शून्य राशि रखने, एटीएम/डेबिट कार्ड की सुविधा, और रकम जमा करने पर कोई प्रभार नहीं तथा महीने में चार बार धन निकालने की सुविधा दी गई है। संक्षेप में, प्रत्येक व्यक्ति को एक बुनियादी खाता खोलने का अधिकार है। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे ऐसे खातों पर अल्पराशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा दें ताकि वे आपात स्थिति में बाधारहित तरीके से अपनी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें।

II. कारोबार संपर्की की सेवाएं लेना : वर्ष 2006 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अनुमति दी कि वे वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं देने के लिए कारोबार सहायक तथा कारोबार संपर्की की सेवाएं मध्यस्थ के रूप में ले सकते हैं। कारोबार संपर्की मॉडल के अंतर्गत यह अनुमति दी गई कि वे दरवाजे पर सेवाएं उपलब्ध कराएं, विशेष रूप से 'नकदी देने-नकदी लेने संबंधी कार्य, इस प्रकार से 'अंतिम मील' तक बैंकिंग सेवा पहुंचने की समस्या का समाधान हो जाता है। कारोबार संपर्की के रूप में सेवाएं लेने के लिए पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को समय-समय पर विस्तृत किया गया है, इस प्रक्रिया में हमने जांच करो और सीखो का दृष्टिकोण अपनाया है। सितंबर, 2010 में रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को छोड़कर लाभ कमाने वाली संस्थाओं को कारोबार संपर्की के रूप में काम करने की अनुमति दे दी। बैंक, अब इसके लिए मोबाइल कंपनियों के विस्तृत नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने भारत में बैंक सेवा से रहित आबादी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के साथ हाथ मिला लिया है। मोबाइल कंपनियों के एजेंट, ग्राहक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं और कारोबार संपर्की की सेवाएं प्रदान करते हैं, इस प्रकार से बैंकों की दूर तक पहुंच को विस्तार दे रहे हैं।

III. प्रौद्योगिकी का उपयोग : इस बात को मानते हुए कि प्रौद्योगिकी में आउटरीच मुद्दों का समाधान करने तथा ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में ऋण सुविधा संभाव्य तरीके से उपलब्ध कराने की क्षमता है, वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे सीबीएस को कार्यान्वित करें ताकि वे आईसीटी का प्रभावी उपयोग कर सकें, तथा बीसी मॉडल के माध्यम से दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं दे सकें जिसमें खातों का संचालन बायोमेट्रिक से अशिक्षित ग्राहक भी कर सकेंगे, इस प्रकार से लेनदेन की सुरक्षा बनी रहेगी तथा लोगों में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों से नजदीक से जुड़े हैं, उनमें वित्तीय समावेशन को लागू करने की शक्ति निहित है, इसलिए उन्हें भी सीबीएस प्लेटफार्म के अंतर्गत लाया गया है। तीव्र भुगतान प्रणाली वित्तीय समावेशन का अनिवार्य अंग है, और यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

IV. के वाई सी मानदंड में रियायत : आम आदमी को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वह उन वर्षों में निर्धारित किए गए कठोर केवाईसी मानदंड थे। अगस्त, 2005 में छोटे बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी

अपेक्षाओं को कम किया गया और प्रक्रिया को आसान बनाया गया। सहजता से खाता खोलने के लिए, खास-तौर से छोटे ग्राहकों के लिए केवाईसी दिशानिर्देशों को इस हद तक आसान बना दिया गया है कि छोटे खाते बिना किसी दस्तावेज के बैंक अधिकारी के समक्ष स्वतः प्रमाणन के माध्यम से खोल सकते हैं। इसके अलावा, यूआईडीएआई की पहल का उपयोग करने हेतु, रिजर्व बैंक ने 'आधार' में भारत के समस्त नागरिकों को जारी विशिष्ट पहचान संख्या को खाता खोलने के लिए केवाईसी की अपेक्षा को पूरा करने हेतु एक-मात्र दस्तावेज मानने की अनुमति दे दी है। सितंबर, 2013 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को 'आधार' पर आधारित ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है, इससे सभी लोगों के खाते खोलना आसान हो गया है।

V. सरलीकृत शाखा प्राधिकरण : बैंक शाखाओं के असमान फैलाव की समस्या को समाप्त करने के लिए दिसंबर 2009 में घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुमति दी गई कि वे सामान्य अनुमति के अधीन 50,000 से कम आबादी वाले टियर 3 और टियर 6 केंद्रों में मुक्त रूप से शाखाएं खोल सकते हैं, बशर्ते कि वे उसकी सूचना दें। मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में शाखा प्राधिकरण को और रियायत इस हद तक दे दी गई कि बैंकों को यहां तक कि टियर I केंद्रों पर शाखा खोलने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि वे उसकी सूचना दें।

VI. बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखाएं खोलना : ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए आगे और भी कदम उठाए गए और बैंकों को यह अधिदेश दिया गया कि वे कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में खोलें। इस अधिदेश के पालन को सहायता प्रदान करने हेतु बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आधार शाखा और बैंक रहित गांव के बीच ईट और गारे से बनी हुई छोटी मध्यस्थता शाखा खोलें। इसके पीछे तरकीब यह है कि बेहतर सेवाएं देने के लिए एक प्रकार का ईको-सिस्टम सृजित किया जाए, नकदी प्रबंधन की दक्षता बढ़े, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण हो तथा बीसी परिचालनों का बारीकी से पर्यवेक्षण किया जाए। इस अधिदेश का पालन करने हेतु बैंकों को और प्रोत्साहित करने के लिए सूचित किया गया है कि वे तीन वर्ष के चक्र में बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखाएं खोलने को प्राथमिकता देने पर विचार करें जिसे वे अपने एफआईपी के साथ संयुक्त रूप

से जोड़ें। इससे बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखा विस्तार में तेजी आएगी।

VII. 2000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप : वित्तीय समावेशन की एक कारोबारी अवसर के रूप बढ़ती मान्यता तथा बैंकों की इसमें सहभागिता की तैयारी देखकर हमने देश के सभी बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं देने का चरणबद्ध तरीका अपनाया है। पहले चरण के पूरा होने पर जिसमें 2000 से अधिक आबादी वाले लगभग 74,000 गांवों में बैंकिंग का बाजार उपलब्ध कराया है, और अब दूसरे चरण में शेष बैंक रहित गांव जिनकी संख्या 4,90,000 के आसपास है की पहचान की गई है और जिनकी आबादी 2000 से कम है, बैंकों को मार्च 2016 तक बैंक शाखा खोलने के लिए आबंटित किए गए हैं।

VIII. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरूआत, जिसके पहचान की मान्यता आधार के माध्यम से होगी और जो सामाजिक कल्याण के फायदों को लोगों तक पहुंचाना आसान बनाएगा तथा हिताधिकारियों के खातों में पैसा सीधे जमा कर दिया जाएगा। सरकार का प्रस्ताव है कि समस्त सामाजिक सुरक्षा वाले भुगतान आधार प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए बैंकिंग नेटवर्क से किए जाएं। सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के सहज कार्यान्वयन के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी व्यक्तियों के खाते स्थानीय सरकारी अधिकारियों की सहायता से कैम्प लगाकर खोलें, विद्यमान एवं नये खातों में आधार संख्या डालें तथा एक प्रभावी प्रणाली बनाएं जो प्रत्यक्ष-लाभ अंतरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर निगरानी रखे और उसकी समीक्षा करे।

IX. वित्तीय शिक्षण : वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय शिक्षण एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में है। हमने एक समन्वित तरीका अपनाया है जिसमें वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षण के लिए हमारे प्रयास साथ-साथ चलेंगे। वित्तीय शिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से हम सामान्य बैंकिंग की संकल्पना से संबंधित जानकारी विविध लक्ष्य समूह जैसे-स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, महिलाएं, ग्रामीण और शहरी गरीब, पेंशनभोगी तथा वरिष्ठ नागरिकों को देंगे ताकि उन्हें वित्तीय निर्णयों की जानकारी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति पक्ष की पहल को मांग पक्ष की पहल से

समर्थन प्राप्त हो, जिसके लिए बैंकों द्वारा लगभग 800 वित्तीय शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, हम राज्य स्तर पर मौजूद बुनियादी सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) है जिसे जिला स्तर पर अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की पर्याप्त सहायता प्राप्त है। हमने बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया है जिसका उद्देश्य है कि वित्तीय रूप से वंचित आबादी जिसकी आय कम है और कम शिक्षित है उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जाए। वित्तीय शिक्षण केंद्र, बाहर जाकर शिक्षा कैंप का आयोजन करते हैं जो तीन महीने का होता है जिसे तीन चरणों में दिया जाता है जिसमें जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ इन शिक्षण कैंपों में खाते भी खोले जाते हैं। यह कार्यक्रम सफल रहा है और जागरूकता पैदा करने और साथ ही साथ बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाने के माध्यम से वित्तीय समावेशन के इस समन्वित तरीके को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है।

X. बैंकों की वित्तीय समावेशन योजना : हमने बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे वित्तीय समावेशन के लिए सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीका अपनाएं जिसमें उच्चतम स्तर पर वचनबद्धता हो और वित्तीय समावेशन योजना का पहला चरण 2010-2013 के बीच कार्यान्वित किया गया। रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना का इस्तेमाल बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत किए गए कार्यों को मापने के लिए किया है। इस दिशा में, हमने बैंकों के लक्ष्य की तुलना में उनके कार्यानिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक सुनियोजित एवं व्यापक निगरानी प्रणाली लागू की है। वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को बैंक के शीर्ष प्रबंध तंत्र का समर्थन प्राप्त हो तथा बैंक के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक-एक करके बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वित्तीय समावेशन की 3 वर्ष की योजना (अप्रैल 2010-मार्च 2013) में बैंकों ने उसके प्रमुख पैरामीटर के हिसाब से जो प्रगति की है उसके तीन वर्ष के दौरान फौरी तौर पर प्रगति यह दर्शाती है कि मार्च 2010 में गांवों में बैंकिंग दुकानें 67,694 थीं जिसकी तुलना में मार्च 2013 तक बढ़कर लगभग 2,68,000 हो गई, इस तीन वर्ष की अवधि में 400 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं। लगभग 109 मिलियन बुनियादी जमा खाते बढ़े और कुल मिलाकर

ये खाते 182 मिलियन हो गए। आईसीटी आधारित खातों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई - बुनियादी जमा खाते की तुलना में आईसीटी आधारित खाते मार्च 2010 के 25 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2013 में 45 प्रतिशत हो गए। तीन वर्ष के समय में कारोबार संपर्क के माध्यम से आईसीटी आधारित खातों में लगभग 4,904 लाख लेनदेन किए गए।

प्रथम योजना की अवधि पूरी हो जाने के बाद हमने यह महसूस किया कि बड़ी संख्या में बैंकिंग खाते खुल जाने से बैंकिंग नेटवर्क में एक्सेस एवं उपयोग की समस्या पैदा हो गई है। हमें यह एहसास हुआ की मात्र बैंकिंग की बुनियादी सुविधाएं देने और बैंक खाता खोल देने से समग्र वित्तीय समावेशन का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे नये सिरे से वित्तीय समावेशन हेतु 2013-16 तक तीन वर्ष की योजना तैयार करें, ताकि सभी हितधारकों की वित्तीय समावेशन के प्रयास में सहभागिता हो और वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग ढांचे में समानता पैदा की जाए, और बैंक यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय समावेशन योजना को विस्तार दिया जाए तथा उसे शाखा स्तर तक फैला दिया जाए। नई योजना में फोकस इस बात पर होगा कि बनाए गए बड़े बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग अन्य उत्पादों जैसे-ऋण उत्पाद, के लिए भी किया जाए जो कारोबार को बैंकों के लिए और लाभप्रद बनाएंगे। इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि खोले गए ऐसे सारे खातों में समान रूप से अधिक लेन-देन हो सकेंगे और लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने का फायदा हासिल हो सकेगा।

XI. मजबूत संस्थागत प्रणाली : पिछले वर्षों में हमारी एक बड़ी उपलब्धि और शक्ति यह रही है कि एक मजबूत संस्थागत प्रणाली का सृजन हुआ है जो बैंकिंग सेवाओं को पूरे देश में पहुंचा पाएगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित उप-समूह और उसके अंतर्गत उप गवर्नर डॉ.के.सी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित तकनीकी दल को वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षण का विशेष अधिदेश प्रदान किया गया है। बैंकों के निष्पादन को मापने तथा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अपनाए गए विभिन्न मॉडल की निरंतर समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति का गठन किया है।

XII. औपचारिक वित्तीय प्रणाली की बढ़ती सीमा की आगे की मंज़िल : अगर विकास को वास्तव में समावेशी बनाना है तो बैंकिंग की पहुंच को विस्तृत और गहन बनाना होगा। वित्तीय सेवाएं बड़े पैमाने पर प्रदान करने और दूर-दूर तक इसकी पहुंच बनाने से उपभोक्ता तथा निर्माता दोनों को मदद मिलेगी और सामाजिक कल्याण एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस प्रकार की पहुंच गरीबों के लिए शक्तिशाली होगी क्योंकि इससे उन्हें बचत करने का अवसर मिलेगा, निवेश कर सकेंगे, ऋण ले सकेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आय न होने से जो परेशानी या जरूरत अचानक आ पड़ती है उससे निजात मिलेगी। चूंकि वास्तविक अर्थव्यवस्था काफी सक्रिय है, इसलिए बैंकिंग प्रणाली के लिए लचीला और प्रतिस्पर्धी होना जरूरी है ताकि वह इसके बहु-उद्देश्यों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों की मांग को पूरा कर सके। शहरी गरीबी की समस्या के समाधान के लिए हमने महानगरीय शहरी क्षेत्र जैसे मुंबई को अग्रणी बैंक योजना की आयोजना एवं समीक्षा प्रणाली के अधीन लाया गया है।

अब मैं उन बिंदुओं पर बात करूंगी जो वित्तीय समावेशन के हमारे संभावित सपने को पूरा करने में आगे की मंज़िल तय करेंगे :

5. नये बैंक लाइसेंस : यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग प्रणाली का आकार बढ़े तथा वह और परिष्कृत हो ताकि वह आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और बैंकिंग सेवाओं में पहुंच बेहतर हो सके, हम नए बैंक लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इन बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे मात्र बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं का जमावड़ा जैसे-हाथ से किए जाने वाले उपाय, स्मार्ट कार्ड, बेहतर वेंडर और सेवा देने वाले आदि से कहीं आगे जाएंगे और वित्तीय समावेशन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। ये नए बैंक नई प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी मॉडल, नया कारोबार और नए डिलीवरी मॉडल लाएंगे जो वित्तीय सेवाओं को तेजी से दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाएंगे। वित्तीय समावेशन एसीटीए मॉडल खातों पर कार्य करेंगे, नकद दो-नकद लो और एकदम निकट होकर काम करेंगे और यह उनकी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने में मदद करेगा।

6. कारोबार और डिलीवरी मॉडल : वित्तीय समावेशन लागू करने में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़

रहा है। 2,68,000 बैंकिंग दुकानों में से लगभग 2,21,000 कारोबार संपर्की आधारित हैं अर्थात् तकरीबन 82 प्रतिशत, यह जरूरी है कि कारोबार संपर्की मॉडल की क्षमता बनी रहे है और यह बढ़ता रहे। अधिक से अधिक नए उत्पाद आने चाहिए जिससे बैंकों और ग्रामीण लोगों दोनों को फायदा होगा और कारोबार संपर्की मॉडल भी लाभकारी रहेगा। बिना शाखा के बैंकिंग सेवाएं देने के लिए नकदी प्रबंधन की प्रथा की समीक्षा की जानी चाहिए जिससे विभिन्न मॉडलों की उपयोगिता बढ़ सके।

7. बैंकिंग सेवाओं का उपयोग : वित्तीय समावेशन की पहल के पहले चरण में हमने ग्रामीण इलाकों में 74,000 बैंकिंग मार्ग सफलतापूर्वक खोले हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारी सोच यह है कि और अधिक ऋण उत्पाद लाए जाएं ताकि इन खातों में लेनदेन बढ़े जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग न केवल अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण पा सकेंगे बल्कि बैंकों के लिए कारोबार संपर्की मॉडल फायदेमंद साबित होगा। कारोबार संपर्की के लिए कौशल एवं क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है।



8. वित्तीय शिक्षण : हमने वित्तीय समावेशन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें आपूर्ति पक्ष की पहल को मांग पक्ष की पहल से समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस दिशा में, बैंकों को वित्तीय शिक्षण का समर्थन करते हुए जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने का फायदा महसूस कर सकें। स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी वित्तीय शिक्षा को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चे बैंक और बैंकिंग सेवाओं के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इससे उनमें युवावस्था में ही एक जिम्मेदार बैंकिंग की आदतें पैदा होंगी। इस दिशा में, एफएसडीसी के तकनीकी समूह ने वित्तीय शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति पहले ही बना ली है।

9. सामूहिक प्रयास : अंततः, वित्तीय समावेशन हितधारकों जैसे-भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य वित्तीय विनियामकों, बैंकों, सरकारें, एनजीओ, सिविल सोसायटी आदि की सक्रिय सहभागिता के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक कि चारों तरफ वित्तीय समावेशन न हो जाए तब तक मौजूदा नीति के उद्देश्य-वित्तीय स्थायित्व सहित समावेशी विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बैंक इसे अकेले तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि इस मुहिम में समग्र प्रणाली का समर्थन न हो। सभी हितधारकों के लिए जरूरी है कि वे एक-दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करें और इसे संभव

बनाएं। नीति-निर्माता, विनियामक, सरकारें, आईटी समाधान देने वाले तथा बड़ा जनसाधारण समूह मिलकर भारतीय बैंकिंग में निर्णयात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

10. जैसाकि हमारे गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि हमें वित्तीय सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचानी हैं, चाहे वह दूर-दराज में हो या कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों न हो, वित्तीय समावेशन का मतलब सिर्फ उत्पादन के उद्देश्यों से ऋण हासिल हो जाना नहीं है, इसका यह भी अर्थ है कि स्वास्थ्य संबंधी आपात जरूरतों या स्कूल या कालेज की भारी भरकम फीस जमा करने के लिए भी ऋण प्राप्त हो। इसका आशय है कि यह एक सुरक्षित परिश्रमिकगत बचत का लाभकर साधन है, और भुगतान तथा धनप्रेषण का आसान तरीका। इसका अर्थ बीमा और पेंशन से है। इसका मतलब वित्तीय शिक्षा तथा उपभोक्ता संरक्षण है। मैं ऐसे बैंक की आवश्यकता पर जोर देना चाहूँगी जैसा कि इस कक्ष में दिखाया गया है जो मात्र खाता खोलने से कहीं आगे का कार्य करे और बड़ी संख्या में शाखा खोल लेना या बैंक खाता खोल लिया जाना दिखाने के बजाय यह सुनिश्चित करे कि गरीब ग्राहकों का उन पर विश्वास है और वे

बैंक की सेवा लेने में सहजता महसूस करते हैं, और यही हमारे प्रयास होने चाहिए। हमें वित्तीय समावेशन के लिए एक सादा-सा, विश्वसनीय और प्रभावी भारतीय मॉडल चाहिए। हमारी सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि हमने कितने रोजगार पैदा किए, न कि सरकारी सब्सिडी देकर या श्रमिकजन्य उद्योगों या क्षेत्रों को प्रश्रय देकर बल्कि एक ऐसे वातावरण का विकास करके जो स्पर्धापूर्ण तो हो किंतु आसानी पैदा करने वाला हो और यही सबसे बेहतर समाधान होगा। यही वे रास्ते हैं जो वित्तीय समावेशन के हमारे स्वप्न की आगे की मंजिल की ओर हमें ले जाएंगे। इस संबंध में कुछ उपाय जारी किए जाने वाले हैं। हम डॉ. नचिकेत समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। डॉ. संबामूर्ति समिति भी हमारा मार्गदर्शन करेगी कि मोबाइल के किसी भी हैंडसेट द्वारा भारत में एन्क्रिप्टेड एसएमएस द्वारा निधि अंतरण करके किस प्रकार मोबाइल बैंकिंग का प्रसार किया जाए। संक्षेप में, चुनौतियां बहुत सी हैं लेकिन उन्हीं में ऐसे अवसर भी छुपे होते हैं जो विकास की गति को तेज करेंगे तथा हमें एक समान वृद्धि की ओर ले जाएंगे। मुझे संयम से सुनने के लिए धन्यवाद।



वित्तीय समावेशन योजना - प्रगति एक नज़र में

क्र. सं.	विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	मार्च 2012 को समाप्त वर्ष	मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	अप्रै 2010 - मार्च 2013 के बीच प्रगति
1	गांवों में बैंकिंग सुविधाएं - शाखाएं	33,378	34,811	37,471	40,837	7,459
2	गांवों में बैंकिंग सुविधाएं - कारोबारी संपर्क	34,174	80,802	141,136	221,341	187,167
3	गांवों में बैंकिंग सुविधाएं - अन्य तरीके	142	595	3,146	6,276	6,134
4	गांवों में बैंकिंग सुविधाएं - कुल	67,694	116,208	181,753	268,454	200,760
5	कारोबारी संपर्क वाले शहरी क्षेत्र	447	3,771	5,891	27,143	26,696
6	शाखा के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) (संख्या मिलियन में)	60.19	73.13	81.20	100.80	40.61
7	शाखा के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) (राशि बिलियन में)	44.33	57.89	109.87	164.69	120.36
8	कारोबारी संपर्क के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) (संख्या मिलियन में)	13.27	31.63	57.30	81.27	68.00
9	कारोबारी संपर्क के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) (राशि बिलियन में)	10.69	18.23	10.54	18.22	7.53
10	बीएसबीडीए कुल (मिलियन में)	73.45	104.76	138.50	182.06	108.61
11	बीएसबीडीए कुल राशि (बिलियन में)	55.02	76.12	120.41	182.92	127.90
12	बीएसबीडीए में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.18	0.61	2.71	3.95	3.77
13	बीएसबीडीए में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधा (राशि बिलियन में)	0.10	0.26	1.08	1.55	1.45
14	किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या मिलियन में)	24.31	27.11	30.24	33.79	9.48
15	किसान क्रेडिट कार्ड (राशि बिलियन में)	1,240.07	1,600.05	2,068.39	2,622.98	1,382.91
16	जीसीसी (संख्या मिलियन में)	1.39	1.70	2.11	3.63	2.24
17	जीसीसी (राशि बिलियन में)	35.11	35.07	41.84	76.34	41.23
18	आईसीटी खाता का. सं. लेनदेन (संख्या मिलियन में)	26.52	84.16	155.87	250.46	490.49
19	आईसीटी खाता का. सं. लेनदेन (राशि बिलियन में)	6.92	58.00	97.09	233.88	388.97